भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2451
03.08.2026 को उत्तर के लिए

विद्यमान प्राकृतिक वनों का संरक्षण

2451. थिरू डॉ. एस. जगतरक्षकन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने उष्णकटिबंधीय वन पुनरुद्धार से संबंधित उन वैज्ञानिक निष्कर्षों की समीक्षा की है, जिनसे यह बताया गया है कि यद्यपि वनों की कटाई के बाद वृक्ष आवरण अपेक्षाकृत शीघ्रता से पुनः प्राप्त हो सकता है, किंतु पूर्ण जैव विविधता की पुनर्प्राप्ति, पारिस्थितिकीय कार्यों की बहाली और वन्यजीव पर्यावासों के पुनरुद्धार के लिए अत्यधिक लंबे समय की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश भर में विद्यमान प्राकृतिक वनों के संरक्षण को सुदृढ़ करने, पारिस्थितिकीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों में सुधार करने, देशी वनस्पति एवं जीव-जंतुओं का संरक्षण करने तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल किए जाने का विचार है कि वनीकरण के प्रयासों में जैव विविधता की पुनर्प्राप्ति, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय प्रत्यास्थता को प्राथमिकता दी जाए, स्वदेशी प्रजातियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा देश भर में सतत संरक्षण संबंधी परिणामों में सहायता करते हुए वृक्षारोपण-केंद्रित लक्ष्यों पर निर्भरता कम की जाए?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि यद्यपि प्राकृतिक पुनर्जनन और वनीकरण के माध्यम से वृक्षों का आवरण पुनः प्राप्त हो सकता है, जैव विविधता, पारिस्थितिक कार्यों और वन्यजीव पर्यावासों की बहाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जो स्थानीय पारिस्थितिक स्थितियों और उपयुक्त प्रबंधन पहलों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक पुनर्जनन, कृत्रिम पुनर्जनन, वन

(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सहायता प्राप्त क्षतिपूर्ति वनीकरण के साथ-साथ हरित भारत मिशन, नगर वन योजना, तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) और अन्य वनीकरण एवं पुनर्स्थापन पहलों के माध्यम से प्राकृतिक वनों का संरक्षण और क्षतिग्रस्त वन परिदृश्यों का पुनर्स्थापन किया जाता है। इन पहलों को संबंधित अधिनियमों और कार्यक्रमों के उद्देश्यों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, जिसमे यथा प्रयोज्य क्षतिग्रस्त वन भूदृश्य बहाली, उपयुक्त स्वदेशी/देशज प्रजातियों का रोपण और जैव विविधिता संरक्षण शामिल है।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 में जैव विविधता संरक्षण, क्षतिग्रस्त वनों का पुनर्स्थापन, वन्यजीव पर्यावास सुधार, मृदा एवं जल संरक्षण तथा विशिष्ट वन संवर्धन पद्धतियों सहित सतत वन प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। वन और वृक्ष आवरण की निगरानी भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से आवधिक तौर पर की जाती है, जबकि जैव विविधता संरक्षण को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क और अन्य संरक्षण उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
